



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : ९८७० / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : १३ / ०३ / 2013

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.02.2013 की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2013 के निर्णयानुसार जी.डी. रङ्गटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, दुर्ग को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता संशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	M.Sc. Final year, Biotechnology	20	2011-12
2.	B.Com. -II- Computer Application	30	

शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रबोधन मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. संबंधित महाविद्यालय 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
4. समय- समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
5. समिति के नाम से क्रय किये गये भूमि में 3 साल के अंदर महाविद्यालय संचालन हेतु भवन निर्माण करेंगे।
6. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए लायसेंस साप्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

आदेशानुसार,

१२/३/१३

प्रभारी अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : ९८७१ / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : १३ / ०३ / 2013

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अमेषित।

कक्ष अधिकारी (अका.)